न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–61 / 2024

प्रार्थीः–

गेमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी पादरडी कला तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबंधक बाड़मेर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सिवाना
3. शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–
श्री गणपतसिंह प्रार्थी अधिवक्ता

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 07.02.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम पर्बतनगर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 524, 55, 497, 514 व 507 रकबा क्रमशः 2.4605, 1.8130, 0.1619, 2.6305, 02.3714 हैक्टेयर व ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 206 व 47 रकबा क्रमशः 6.5317 व 0.9308 हैक्टेयर की अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड,परिवार राशन कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम ''गेमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह '' दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''गंगासिह पुत्र इन्द्रसिंह'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1058 दिनांक 23.07.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.13 14:27:52 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''गेमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम पर्बतनगर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 524, 55, 497, 514, 507 रकबा क्रमशः 2.4605, 1.8130, 0.1619,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

2.6305, 02.3714 हैक्टेयर व ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 206 व 47 रकबा क्रमशः 6.5317 व 0.9308 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''गंगासिंह पुत्र इन्द्रसिंह'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र,पेनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम ''गेमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''गंगासिंह पुत्र इन्द्रसिंह'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''गेमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पर्बतनगर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 524, 55, 497, 514, 507 रकबा क्रमशः 2.4605, 1.8130, 0.1619, 2.6305, 02.3714 हैक्टेयर व ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 206 व 47 रकबा क्रमशः 6.5317 व 0.9308 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''गंगासिंह पुत्र इन्द्रसिंह'' के स्थान पर ''गेमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। **प्रार्थी द्वारा रहन मुक्त का प्रमाण पत्र अथवा सम्बन्धित बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पश्चात्** ही तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 07.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.13 14:27:52 IST
Reason: SelfAttested